

27 FEB 2019

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश क्र 706

क्रमांक / 285 / 2019 / सत्रह / मेडि-1.  
प्रति,

भोपाल, दिनांक / 02 / 2019

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल

विषय:- "न मांग न घटना, न जांच (अनापत्ति) प्रमाण-पत्र"- डॉ. एस.एस.वास्कले, से.नि. (30.04.15),  
तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल।  
संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 361, दिनांक 02.02.2019.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. एस.एस.वास्कले, सेवानिवृत्त (30.04.15), तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रचलित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है।

2/- डॉ. एस.एस.वास्कले, सेवानिवृत्त (30.04.15), तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये।

*इस्ताद*  
( अजय नथानियल )  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 26/02/2019

पृ.क्रमांक 268 / 285 / 2019 / सत्रह / मेडि-1

प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन, एम.पी.नगर, भोपाल।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल संभाग, जबलपुर।
- 6- निज सचिव, सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
- 7- उपसंचालक (विज्ञापन), संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 8- रजिस्ट्रार, माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जबलपुर।
- 9- जिला कोषालय अधिकारी, जिला बैतूल।
- 10- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल, संलग्न अतिरिक्त प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु।
- 11- डॉ. एस.एस.वास्कले, सेवानिवृत्त (30.04.15), तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल, द्वारा- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल।
- 12- आदेश नस्ती।

*AN*  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
27/2/19

*AN*  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
27/2/19

25 FEB 2019

683

2019

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / /348/2019/सत्रह/मेडि-1  
प्रति,

भोपाल, दिनांक /02/2019

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल

विषय:- "न मांग, न घटना, न जांच" अनापत्ति प्रमाण-पत्र - डॉ. जगदीश चन्द्र गुप्ता (सेवानिवृत्त दिनांक 30.06.18), तत्कालीन नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, मंदसौर ।  
संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 379, दिनांक 04.02.2019.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. जगदीश चन्द्र गुप्ता (सेवानिवृत्त दिनांक 30.06.18), तत्कालीन नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, मंदसौर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रचलित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है ।

2/- डॉ. जगदीश चन्द्र गुप्ता (सेवानिवृत्त दिनांक 30.06.18), तत्कालीन नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, मंदसौर के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये ।

इस्ता 0 /  
(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 25/02/2019

पृ.क्रमांक /264/348/2019/सत्रह/मेडि-1  
प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन, एम.पी.नगर, भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल ।
- 5- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, उज्जैन संभाग, उज्जैन ।
- 6- निज सचिव, सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल ।
- 7- उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 8- जिला कोषालय अधिकारी, जिला मंदसौर ।
- 9- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मंदसौर ।
- 10- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला मंदसौर, संलग्न अतिरिक्त प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु ।
- 11- डॉ. जगदीश चन्द्र गुप्ता (सेवानिवृत्त दिनांक 30.06.18), तत्कालीन नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, मंदसौर, द्वारा- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला मंदसौर । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित ।
- 12- आदेश नस्ती ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

**मध्यप्रदेश शासन**  
**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्रमांक / /37/2019/सत्रह/मेडि-1  
प्रति,


भोपाल, दिनांक /02/2019

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल

विषय:- "न मांग, न घटना, न जांच" अनापत्ति प्रमाण-पत्र - डॉ. वीरेन्द्र बहादुर सिंह (सेवानिवृत्त दिनांक 31.10.18), तत्कालीन शिशुरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, सीधी ।  
संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 41, दिनांक 03.01.2019.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. वीरेन्द्र बहादुर सिंह (से.नि. दि. 31.10.18), तत्कालीन शिशुरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, सीधी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रचलित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है ।

2/- डॉ. वीरेन्द्र बहादुर सिंह (से.नि. दि. 31.10.18), तत्कालीन शिशुरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, सीधी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये ।

  
(अजय नथानियल)

अवर सचिव


मध्यप्रदेश शासन


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 21/02/2019

पृ.क्रमांक / 254/37/2019/सत्रह/मेडि-1  
प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन, एम.पी.नगर, भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
- 5- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा ।
- 6- निज सचिव, सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल ।
- 7- उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 8- जिला कोषालय अधिकारी, जिला सीधी ।
- 9- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीधी ।
- 10- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सीधी, संलग्न अतिरिक्त प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु ।
- 11- डॉ. वीरेन्द्र बहादुर सिंह (से.नि. दि. 31.10.18), तत्कालीन शिशुरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, सीधी, द्वारा-सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सीधी ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 12- आदेश नस्ती ।



  
अवर सचिव


मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / /4512/2018/सत्रह/मेडि-1  
प्रति,

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल



विषय:- "न मांग न घटना, न जांच (अनापत्ति) प्रमाण-पत्र"- डॉ. एस.के. माथुर, सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.18), तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक (निश्चेतना विशेषज्ञ), कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, जिला भोपाल ।

संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 3594, दिनांक 24.12.2018.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. एस.के. माथुर, सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.18), तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक (निश्चेतना विशेषज्ञ), कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, जिला भोपाल के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रचलित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है ।

2/- डॉ. एस.के. माथुर, (से.नि.दि. 31.07.18), तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक (निश्चेतना विशेषज्ञ), कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, जिला भोपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये ।

हस्ताक्षर/  
( अजय नथानियल )  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
भोपाल, दिनांक 01/01/2019

पृ.क्रमांक / 4512/2018/सत्रह/मेडि-1  
प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन, एम.पी.नगर, भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
- 5- अवर सचिव, म0प्र0 शासन, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 6- निज सचिव, सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल ।
- 7- उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 8- जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल ।
- 9- संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल, संलग्न अतिरिक्त प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु ।
- 10- डॉ.एस.के.माथुर, सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.18), तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक (निश्चेतना विशेषज्ञ), कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, जिला भोपाल द्वारा- कार्यालय संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 11- आदेश नस्ती ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नि.सहा./स्वा.आयुक्त/.....  
24/1/19

150

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/99/64/2019/सत्रह/मेडि-1  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/01/2019

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल

विषय:- "न मांग न घटना, न जांच (अनापत्ति) प्रमाण-पत्र"- डॉ. अनिल चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.18), तत्कालीन ई.एन.टी. विशेषज्ञ, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल ।  
संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 67, दिनांक 04.01.2019.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.18), तत्कालीन ई.एन.टी. विशेषज्ञ, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रचलित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है ।

2/- डॉ. अनिल चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.18), तत्कालीन ई.एन.टी. विशेषज्ञ, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये ।

AN  
(अजय नथानियल)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
भोपाल, दिनांक 21/01/2019

पृ.क्रमांक/ /64/2019/सत्रह/मेडि-1  
प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन, एम.पी.नगर, भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
- 5- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल ।
- 6- निज सचिव, सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल ।
- 7- उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 8- जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल ।
- 9- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल ।
- 10- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल ।
- 11- डॉ. अनिल चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.18), तत्कालीन ई.एन.टी. विशेषज्ञ, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल द्वारा- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल ।
- 12- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।  
आदेश नस्ती ।

Dr. Admn  
Dr. Admn

DD (6)  
↓

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालक (प्रशासन) 20-21/19  
दिनांक 25/01/19

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

नि.सहा./स्वा.आयुक्त/149  
दिनांक 24/11/19

क्रमांक / 7 / 4513 / 2018 / सत्रह / मेडि-1

भोपाल, दिनांक 16/01/2019

प्रति,

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल

विषय:- "न मांग न घटना, न जांच (अनापत्ति) प्रमाण-पत्र"- डॉ. प्रदीप कुमार अग्रवाल (से.नि.दि. 30.09.18), तत्कालीन जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर ।

संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 3595, दिनांक 24.12.2018.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. प्रदीप कुमार अग्रवाल (से.नि.दि. 30.09.18), तत्कालीन जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रचलित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है ।

2/- डॉ. प्रदीप कुमार अग्रवाल (से.नि.दि. 30.09.18), तत्कालीन जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये ।

( अजय नथानियल )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक /01/2019

पृ.क्रमांक / / 4513 / 2018 / सत्रह / मेडि-1

प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन, एम.पी.नगर, भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
- 5- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
- 6- निज सचिव, सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल ।
- 7- उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 8- जिला कोषालय अधिकारी, जिला जबलपुर ।
- 9- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर, संलग्न अतिरिक्त प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु ।
- 10- डॉ. प्रदीप कुमार अग्रवाल (से.नि.दि. 30.09.18), तत्कालीन, जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर द्वारा- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 11- आदेश नस्ती ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

De (Admin)

DO (G)


V

W

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / 4450 / 2018 / सत्रह / मेडि-1  
प्रति

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल



भोपाल, दिनांक 01/01/2019

विषय:- परिवार पेंशन प्रकरण के निराकरण हेतु "न मांग न घटना, न जांच प्रस्ताव" जारी कर डॉ. एस.पी.सिंह (निधन दि. 06.10.18), तत्कालीन संयुक्त संचालक (लीगल), संचालनानय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।

संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 3558, दिनांक 20.12.2018.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि स्व. डॉ. एस.पी.सिंह (निधन दि. 06.10.18), तत्कालीन संयुक्त संचालक (लीगल), संचालनानय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रकारित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है ।

2/- स्व. डॉ. एस.पी.सिंह (निधन दि. 06.10.18), तत्कालीन संयुक्त संचालक (लीगल), संचालनानय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये ।

( अजय नारायण )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 01/01/2019

पृ.क्रमांक/37 / 4450 / 2018 / सत्रह / मेडि-1

परिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन, एम.पी.नगर, भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
- 5- उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल ।
- 7- स्व. डॉ. एस.पी.सिंह (निधन दि. 06.10.18), तत्कालीन संयुक्त संचालक (लीगल), संचालनानय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, द्वारा- कार्यालय, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 8- आदेश नस्ती ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

MIS

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / 36 / 4450 / 2018 / सत्रह / मेडि-1  
प्रति

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल



विषय:- परिवार पेंशन प्रकरण के निराकरण हेतु "न मांग न घटना, न जांच प्रमाण-पत्र"- स्व. डॉ. एस.पी.सिंह (निधन दि. 06.10.18), तत्कालीन संयुक्त संचालक (लीगल), संचालनानय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।

संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 3558, दिनांक 20.12.2018.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि स्व. डॉ. एस.पी.सिंह (निधन दि. 06.10.18), तत्कालीन संयुक्त संचालक (लीगल), संचालनानय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रचलित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है ।

2/- स्व. डॉ. एस.पी.सिंह (निधन दि. 06.10.18), तत्कालीन संयुक्त संचालक (लीगल), संचालनानय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये ।

( अजय नथानियल )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
भोपाल, दिनांक / 01 / 2019

पृ.क्रमांक / / 4450 / 2018 / सत्रह / मेडि-1  
प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन, एम.पी.नगर, भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
- 5- उपसंचालक (विज्ञाप), संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल ।
- 7- स्व. डॉ. एस.पी.सिंह (निधन दि. 06.10.18), तत्कालीन संयुक्त संचालक (लीगल), संचालनानय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, द्वारा- कार्यालय, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 8- आदेश नस्ती ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

MIS




मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक /4306/2018/सत्रह/मेडि-एक  
प्रति,

भोपाल, दिनांक /01/2019,

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल



विषय:- "न मांग न घटना, न जांच प्रमाण-पत्र"- डॉ. मंजू मेहता (स्वैच्छिक से.नि. दि. 10.12.2017),  
तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सि.डि. भंवरकुआ, जिला इंदौर ।  
संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 3372, दिनांक 30.11.2018.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. मंजू मेहता (स्वैच्छिक से.नि. दि. 10.12.2017), तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सि.डि. भंवरकुआ, जिला इंदौर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रचलित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है ।

2/- डॉ. मंजू मेहता (स्वैच्छिक से.नि. दि. 10.12.2017), तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सि.डि. भंवरकुआ, जिला इंदौर के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये ।

(बी.आर. सुनहरे)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 01/01/2019

पृ.क्रमांक/30 /4306/2018/सत्रह/मेडि-1  
प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन एम.पी.नगर, भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल ।
- 5- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
- 6- उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवनख भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी, जिला इन्दौर ।
- 8- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर ।
- 9- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इन्दौर, संलग्न अतिरिक्त प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु ।
- 10- डॉ. मंजू मेहता (स्वैच्छिक से.नि. दि. 10.12.2017), तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सि.डि. भंवरकुआ, जिला इंदौर द्वारा- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इन्दौर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 11- आदेश नस्ती ।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

MIS

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय



क्रमांक 29 / 4306 / 2018 / सत्रह / मेडि-एक

भोपाल, दिनांक 07/01/2019

प्रति,

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल

विषय:- "न मांग न घटना, न जांच प्रमाण-पत्र"- डॉ. मंजू मेहता (स्वैच्छिक से.नि. दि. 10.12.2017),  
तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सि.डि. भंवरकुआ, जिला इंदौर ।

संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 3372, दिनांक 30.11.2018.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. मंजू मेहता (स्वैच्छिक से.नि. दि. 10.12.2017), तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सि.डि. भंवरकुआ, जिला इंदौर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रचलित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है ।

2/- डॉ. मंजू मेहता (स्वैच्छिक से.नि. दि. 10.12.2017), तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सि.डि. भंवरकुआ, जिला इंदौर के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये ।

( बी.आर. सुनहरे )

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक /01/2019

पृ.क्रमांक / / 4306 / 2018 / सत्रह / मेडि-1

प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन एम.पी.नगर, भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल ।
- 5- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
- 6- उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी, जिला इन्दौर ।
- 8- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर ।
- 9- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इन्दौर, संलग्न अतिरिक्त प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु ।
- 10- डॉ. मंजू मेहता (स्वैच्छिक से.नि. दि. 10.12.2017), तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सि.डि. भंवरकुआ, जिला इंदौर द्वारा- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इन्दौर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 11- आदेश नस्ती ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

MIS

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

AD/1/1/19  
10/11/19  
Jm  
T/1/19  
204

क्रमांक 31 / 4508 / 2018 / सत्रह / मेडि-एक  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07/01/2019

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल

विषय:- "न मांग न घटना, न जांच प्रमाण-पत्र"- डॉ. जी.एस. राजपूत (से.नि. दि. 31.10.18), तत्कालीन शल्य क्रिया विशेषज्ञ एवं प्रभारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान, ग्वालियर ।  
संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 3591, दिनांक 21.12.2018.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. जी.एस. राजपूत (से.नि. दि. 31.10.18), तत्कालीन शल्य क्रिया विशेषज्ञ एवं प्रभारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान, ग्वालियर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रचलित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है ।

2/- डॉ. जी.एस. राजपूत (से.नि. दि. 31.10.18), तत्कालीन शल्य क्रिया विशेषज्ञ एवं प्रभारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान, ग्वालियर के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये ।

( बी.आर. सुनहर )

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक /01/2019

पृ.क्रमांक / / 4508 / 2018 / सत्रह / मेडि-1

प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन,भोपाल ।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन एम.पी.नगर भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल ।
- 5- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ।
- 6- उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी, जिला ग्वालियर ।
- 8- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय, ग्वालियर ।
- 9- संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान, सिटी सेंटर, ग्वालियर, संलग्न अतिरिक्त प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु ।
- 10- डॉ. जी.एस. राजपूत, (से.नि. दि. 31.10.18), तत्कालीन शल्य क्रिया विशेषज्ञ एवं प्रभारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान, ग्वालियर, द्वारा- कार्यालय संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान, सिटी सेंटर, ग्वालियर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 11- आदेश नस्ती ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

MIS

**मध्यप्रदेश शासन**  
**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्रमांक / 4451 / 2018 / सत्रह / मेडि-1  
प्रति,

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल



विषय:- "न मांग न घटना, न जांच प्रमाण-पत्र"- डॉ. पी.एम.कुमावत, (स्वैच्छिक से.नि. दि. 26.10.2013), तत्कालीन मेडिकल स्पेशलिस्ट, ट्रामा सेन्टर, माधव नगर चिकित्सालय, जिला उज्जैन ।  
संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 3560, दिनांक 20.12.2018.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. पी.एम.कुमावत, (स्वैच्छिक से.नि. दि. 26.10.2013), तत्कालीन मेडिकल स्पेशलिस्ट, ट्रामा सेन्टर, माधव नगर चिकित्सालय, जिला उज्जैन के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रचलित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है ।

2/- डॉ. पी.एम.कुमावत, (स्वैच्छिक से.नि. दि. 26.10.2013), तत्कालीन मेडिकल स्पेशलिस्ट, ट्रामा सेन्टर, माधव नगर चिकित्सालय, जिला उज्जैन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली अदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये ।

(बी.आर. सुनहरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 01/01/2019

पृ.क्रमांक / 4451 / 2018 / सत्रह / मेडि-1  
पत्रिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन एम.पी.नगर, भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
- 5- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन ।
- 6- उप संचालक (विज्ञप्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन ।
- 8- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय, उज्जैन ।
- 9- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उज्जैन, संलग्न अतिरिक्त प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु ।
- 10- डॉ. पी.एम. कुमावत, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त (दि. 26.10.2013) मेडिकल स्पेशलिस्ट, ट्रामा सेन्टर माधवनगर, चि. उज्जैन द्वारा-सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उज्जैन । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 11- आदेश नस्ती ।

MIS

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

**मध्यप्रदेश शासन**  
**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्रमांक / /4417 / 2018 / सत्रह / मेडि-1  
प्रति,

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक /01/2019  
07 JAN 2019  
36  
आवक क्र.

विषय:- "न मांग न घटना, न जांच प्रमाण-पत्र"- डॉ. सुधा अस्थाना (से.नि. दि. 31.10.18), तत्कालीन स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जय प्रकाश चिकित्सालय, जिला भोपाल ।

संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 3454, दिनांक 07.12.2018.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. सुधा अस्थाना (से.नि. दि. 31.10.18), तत्कालीन स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जय प्रकाश चिकित्सालय, जिला भोपाल के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रचलित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है ।

2/- डॉ. सुधा अस्थाना (से.नि. दि. 31.10.18), तत्कालीन स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जय प्रकाश चिकित्सालय, जिला भोपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये ।

**इस्ता/**  
( बी.आर. सुनहरे )  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक /01/2019

03 JAN 2019

पृ.क्रमांक / 11 / 4417 / 2018 / सत्रह / मेडि-1  
प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन, एम.पी.नगर, भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
- 5- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल ।
- 6- उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
- 7- जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल ।
- 8- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल । संलग्न अतिरिक्त प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु ।
- 9- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जय प्रकाश चिकित्सालय, जिला भोपाल, संलग्न अतिरिक्त प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु ।
- 10- डॉ. सुधा अस्थाना (से.नि. दि. 31.10.18), तत्कालीन स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जय प्रकाश चिकित्सालय, जिला भोपाल, द्वारा- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जय प्रकाश चिकित्सालय, जिला भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

11- आदेश नस्ती ।

**उप सचिव**  
मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

03 JAN 2019

क्रमांक/08/4181/2018/सत्रह/मेडि-1  
प्रति,

भोपाल, दिनांक /01/2019

आयुक्त,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
सतपुडा भवन, म.प्र. भोपाल

विषय:- "न मांग न घटना, न जांच प्रमाण-पत्र"- डॉ. जे.एल.मिश्रा, तत्कालीन संचालक, संचालनानय स्वास्थ्य सेवायें, जिला भोपाल ।

संदर्भ:- आपकी एकल नस्ती टीप यू.ओ. क्रमांक 3192, दिनांक 05.11.2018.

विषयांतर्गत, संदर्भित टीप/प्रस्तावानुसार प्रमाणित किया जाता है कि डॉ.जे.एल.मिश्रा, तत्कालीन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त, शिकायत आदि के प्रकरण लंबित/प्रचलित नहीं होने के कारण, "न मांग, न जांच (वसूली) अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया जाता है ।

2/- डॉ. डॉ.जे.एल.मिश्रा, (से.नि. दि. 31.12.18), तत्कालीन संचालक, संचालनानय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जाये ।

( बी.आर. सुनहरे )  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
भोपाल, दिनांक /01/2019

पृ.क्रमांक/ /4181/2018/सत्रह/मेडि-1  
प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
- 2- आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
- 3- आयुक्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा प्रथम तल, किसान भवन, एम.पी.नगर, भोपाल ।
- 4- संयुक्त संचालक, (पेंशन) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
- 5- उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- 6- जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल
- 7- डॉ. जे.एल.मिश्रा (से.नि. दि. 31.12.18), तत्कालीन संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 8- आदेश नस्ती ।

उप/सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

